69

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, मोती महल ग्वालियर

निगरानी क्र......../2018 निगरानी – 4203/2018/गुना/भू.रा.

उधम सिंह पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह कुशवाह आयु 73 वर्ष व्यवसाय कृषि श्रमिक निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील आरोन, जिला गुना म.प्र

.... आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर गुना म.प्र.
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.
3. नायब तहसीलदार आरोन जिला गुना शिवपुरी म.प्र. ....अनावेदक

प्रस्तुत निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी आरोन के द्वारा प्रकरण क्र. 45/अपील/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 एवं नायब तहसीलदार आरोन के प्रकरण क्र. 95/बी–121/17–18 आदेश दिनांक 15.02.2018।

यह कि, यह निगरानी उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है –

1. यह कि, आवेदक एक भूमिहीन व्यक्ति होकर कृषि श्रमिक है, एवं ग्राम बरखेड़ा तहसील आरोन जिला गुना का स्थाई निवासी है।

2. यह कि, यह निगरानी ग्राम बरखेड़ा हाट तहसील आरोन में स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 32/1 रकवा 2.00 हे. के संबंध में प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4203/2018/गुना/भू०रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-18	आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी आरोन जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 45/अपील/2017-18 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 17-4-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्तके समक्ष द्वितीय अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः यह निगरानी संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	